सरकार बनाम कजोड मल वगैरह

किस्म मुकदमा– रैफरेन्स   नम्बर 01 सन्– 2020

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2023	पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 व 8 की ओर से श्री जी. एल.गुप्ता, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 28.8.1999 की पालना हेतु इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान में प्रस्तुत किया। प्रकरण में निर्णय दिनांक 19.8.2019 को निरस्त करने हेतु यह रैफरेन्य राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अंतर्गत पेश कर न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा इजराय प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 19.8.2019 को खारिज कर भूमि बदस्तूर चरागाह दर्ज करने के आदेश हेतु यह रैफरेन्स प्रकरण पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब अप्रार्थीगण व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रैफरेन्स प्रकरण में वर्णित भूमि वर्तमान में चरागाह दर्ज है। रैफरेन्स प्रकरण द्वारा उक्त भूमि को चरागाह दर्ज रखने के आदेश हेतु रैफरेन्स प्रकरण पेश किया गया है। उक्त भूमि से संबंधित वाद उदघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज में उपखंड अधिकारी दौसा के निर्णय के विरूद्ध भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में चरागाह भूमि की खातेदारी दिये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसकी हेतु पालना हेतु इजराय प्रार्थना पत्र में निर्णय की पालना किये जाने के तहसीलदार नांगल राजावतान को आदेश दिये गये है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिकी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश की जानी चाहिए थी, जबकि इजराय की पालना हेतु दिये गये निर्णय को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 19.8.2019 को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई है। प्रार्थी (तहसीलदार नांगल राजावतान) द्वारा इजराय प्रकरण के विरूद्ध रैफरेन्स प्रकरण पोषणीय नहीं है। प्रार्थी को भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के मूल निर्णय दिनांक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। हम तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रकरण खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रकरण खारिज किया जाता है। तहसीलदार नांगल राजावतान को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय व डिकी दिनांक 28.8.1999 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें। तहसीलदार नांगल राजावतान को [illegible] प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद पूर्ति पत्रावली [illegible] लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary Date: 2023.02.15 13:15:59 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर दौसा	